

विधान सभा प्रश्न

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| विभाग का नाम | : | आयुष |
| प्रश्न संख्या तारांकित | : | 4825 |
| उत्तर की तिथि | : | 05.03.2022 |
| विषय | : | चिकित्सा प्रतिपूर्ति |
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री अनिरुद्ध सिंह (कसुम्पटी) |
| सम्बन्धित मन्त्री | : | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण |

| क्रम संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|-------------|---|---|
| क) | यह सत्य है कि प्रदेश आयुष विभाग से जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल लम्बित पड़े हैं; और | जी हां। |
| ख) | यदि हां, तो क्या इस वर्ष लम्बित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा; यदि हां, तो कब तक ? | विभाग द्वारा मुबलिग 25,00,000/-रु का अतिरिक्त बजट दिनांक 22.02.2022 पेंशनरों के लम्बित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी हेतु जारी किया गया है तथा शेष राशि के शीघ्र भुगतान हेतु भी विभाग प्रयासरत है। |